

I/358533/2024

वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय: **Diversion of 1.433 ha forest land in favour of HPPWD Banjar, for the construction of Panchveer to Dhocha via Bion road (Km 0/0 to 3/00), within the jurisdiction of Seraj Forest Division, Distt. Kullu, H.P.-reg**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर File No.FC/HPB/06/118/2022 दिनांक 29/08/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

I/358533/2024

A	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:	-
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा ली है ।
ii.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दि ल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दि नांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनि श्चि त करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दि ल्ली द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना सुनि श्चि त किया जाएगा ।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि नांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नि र्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावि त वन भूमि, 1.433 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमाकरवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नि र्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावि त वन भूमि, 1.433 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा कर ली है ।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली है । ।
v.	पूर्ण अनुपालन रि पोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी ।	पूर्ण अनुपालन रि पोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर ली है । ।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनि श्चि त करना है कि प्रति पूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है । अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं कि या जाएगा ।	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनि श्चि त करना है कि प्रति पूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा कर ली है ।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लि ए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लि ए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत कि या जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लि ए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र अपलोड कर ली है ।

I/358533/2024

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०